भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2713
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि का वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तन

2713. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अवसंरचना तथा औद्योगिक परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि भूमि को हुए नुकसान का राज्य-वार और विशेष कर दादरा और नगर हवेली में ब्यौरा क्या है;
(ख) कृषि भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवज़ा देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;
(ग) क्या सरकार देश में कृषि भूमि को वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तित किए जाने के खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव से अवगत है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। औद्योगिक परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण करती हैं। 'भू सांख्यिकी – एक नज़र 2023-24' की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, निवल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 201.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि से संबंधित आंकड़ें केंद्रीय रूप से नहीं रखता है।

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया जो दिनांक 01.01.2014 से कार्यान्वित हुआ। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 में ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर जब कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो, बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे मामलों में, कृषि योग्य बंजर भूमि के समतुल्य क्षेत्र को कृषि प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के समतुल्य धनराशि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश हेतु उपयुक्त सरकार के पास जमा की जाएगी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, इस प्रकार के भूमि परिवर्तनों को तब तक हतोत्साहित करता है जब तक कि वे अत्यंत आवश्यक न हों। कृषि भूमि अधिग्रहण के मामलों में, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ और कुछ मामलों में भूमि के बजाए भूमि का मुआवजा शामिल है।

(ग) एवं (घ) : चूंकि भूमि राज्य का विषय है, अतः खेती के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने और कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए डाइवर्शन से रोकथाम करने के लिए उचित उपाय करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में देश की खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बहुफसली सिंचित भूमि अधिग्रहण को कम करने और किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण की सीमा को परिभाषित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार की इन पहलों और तकनीकी प्रगति ने फसल गहनता भी निरंतर वृद्धि में योगदान दिया है। फसल गहनता वर्ष 2013-14 में 142.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 156.8% हो गई, जो बहु-फसली खेती की पद्धतियों की ओर सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है और किसानों की एक ही भूमि पर वर्ष भर एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को उजागर करती है। खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 357.73 मिलियन टन हो गया है। बागवानी उत्पादन में भी वर्ष 2013-14 में 277.35 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 369.05 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है।

*****